न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 165/2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/01242**
दायर दिनांक :– 20.09.2019 **निर्णय दिनांक :– 22.07.2025**

1. बिस्मिला पत्नी इब्राहिम खांन जाति तेली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. अमतू पत्नी जुसब खां जाति मुसलमान निवासी देगावड़ी तहसील बाप जिला फलोदी
3. शकूर पुत्र जुसब खां जाति मुसलमान निवासी देगावड़ी तहसील बाप जिला फलोदी
4. सईदुल्ला पुत्र जुसब खां जाति मुसलमान निवासी देगावड़ी तहसील बाप जिला फलोदी
5. हुसैन पुत्र जुसब खां जाति मुसलमान निवासी देगावड़ी तहसील बाप जिला फलोदी
6. अमीरदीन पुत्र जुसब खां जाति मुसलमान निवासी देगावड़ी तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता 2 ता 6
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2511 रकबा 0–15 बीघाव खसरा नम्बर 2512 रकबा 9–12 बीघा ग्राम बाप तहसील बाप में आई हुई है। जिसका प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 ने मौके पर काश्त की सुविधा से बंटवाड़ा कर रखा है। वादग्रस्त भूमि में से मोहम्मद महबूब पुत्र मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद शरीफ पुत्र हसणे खां द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 2478/2 रकबा 25–00 बीघा व खसरा नम्बर 2488 रकबा 11–00 बीघा में आने जाने हेतु रास्ते की मांग की गई जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.06.2016 को रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर दिया जिस पर तहसीलदार बाप द्वारा खसरा नम्बर 2511 रकबा 0–15 बीघा में से रकबा 0–12 बीघा व खसरा नम्बर 2512 रकबा 9–12 बीघा में से रकबा 1–08 बीघा भूमि रास्ते के रूप में काम आने के लिए तथा रास्ता घोषित किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या 2918 ग्राम बाप भरा जाकर स्वीकृत किया गया। तहसीलदार बाप द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2918 ग्राम बाप की पुश्त पर दो अलग–अलग नक्शो बनाये जिसको कांट–छांट करके एक नक्शे को काट दिया तथा दूसरा जो मौके के विपरित बना हुआ था को स्वीकृत किया गया उसको दुरूस्ती करके मौके अनुसार नक्शा बनाया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीनी द्वारा एक अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 75

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2918 ग्राम बाप जिसे तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 14.10.2016 को स्वीकृत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 27.09.2017 को श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाकर निर्देश दिया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण 2918 की पुश्त पर की गई विधि विरूद्ध तरमीम को शुद्धि हेतु न्यायालय हाजा में कार्यवाही करे तब यह प्रार्थना पत्र वास्ते नामान्तरकरण संख्या 2918 ग्राम बाप की पुश्त पर की गई तरमीम को निरस्त कर पुन मौके अनुसार तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 2511 रकबा 0–02 बीघा व खसरा नम्बर 2512 रकबा 1–08 बीघा भूमि गैर मुमकिन रास्ता का नामान्तरकरण संख्या 2918 ग्राम बाप दर्ज हुआ और नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार ही वर्तमान तरमीम भू–नक्शा में दर्ज है। तहसीलदार बाप जवाब व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण की पुश्त पर न्यायालय आदेश से की गई तरमीम को दुरूस्त किये जाने का कथन किया है परन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार तरमीम नामान्तरकरण की पुश्त अनुसार हीं हो रखी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

22/7/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)